

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेस विज्ञापन

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के 01 (एक) रिक्त पद एवं सूचना आयुक्त के कुल-05 (पाँच) पदों पर नियुक्ति हेतु विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में ख्याति प्राप्त योग्य/अहर्ताधारी अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के पद एवं सूचना आयुक्त के रिक्त पदों हेतु आवेदन अलग-अलग प्रपत्र में दिया जाना है। आवेदन पत्र में तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं पूर्ण विवरण विभाग की वेबसाइट www.dopjharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक आवेदनकर्ता उपरोक्तानुसार विहित प्रपत्र में सभी प्रविष्टियों की सूचना अंकित करते हुए अपना आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची-834004 को स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक-03.02.2020 संध्या 06.00 बजे तक भेज सकते हैं।


ह० /-

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-11 / सू0अ0अधि0-03-15 / 2014 का 0-.....72./ राँची, दिनांक- 3 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/श्री कुमार भाष्कर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0 कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राज्य के प्रमुख अखबारों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं प्रमुख अखबारों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

 01/02/2020
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

विज्ञापन सं0-01 / 2020

विज्ञापन

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद एवं सूचना आयुक्तों के कुल 05 (पाँच) पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्य एवं अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- वेतन:-2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) प्रतिमाह (नियत) एवं अन्य अनुमान्य भत्ते।

पदावधि:-यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- अर्हता:-आवेदक विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
- संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध या किसी कारोबार या वृत्ति से संबद्ध व्यक्ति भी आवेदक हो सकते हैं परन्तु उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त लाभ का पद या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।
- अर्हता की अन्य शर्तेः-
 - आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - वह मानसिक रूप से विक्षिप्त, आर्थिक रूप से दिवालिया या किसी अपराध में संलिप्त नहीं हो।
- मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिये उपर्युक्त अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।
- विज्ञापन में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन करने अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित रहेगा।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त के
रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आवेदन का विहित प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक का नाम
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि
5. वर्तमान पता/पत्राचार का पता
स्थायी पता
6. दूरभाष सं०
मोबाईल नं०
7. ई—मेल पता
8. शैक्षणिक अर्हताएँ

कृपया नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाएँ

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	कुल प्राप्तांक एवं प्रतिशत
मैट्रिक				
इन्टरमीडियट				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

9. व्यापक ज्ञान का क्षेत्र
10. अनुभव
11. ख्याति
12. वर्तमान व्यवसाय
13. उपलब्धियां (संक्षेप में)

तिथि:

हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम:

नोट:- उपर अंकित शैक्षणिक अर्हता/जन्म तिथि/व्यापक ज्ञान/अनुभव/
उपलब्धियों के निमित्त स्वाभिप्राप्ति प्रगाण पत्र संलग्न किया जाना
आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।